

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1797/ FP/UK/Others/41466/2019 देहरादून: दिनांक: 2 जनवरी, 2021

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद- बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-866/17 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No- FP/UK/Others/41466/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु जिला क्रीडा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-2 में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-15 है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
21/1/21
(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/Others/41466/2019 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. जिला क्रीडा अधिकारी, बागेश्वर।

(डी0जे0के0 शर्मा)
प्रमुख वन संरक्षक

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद- बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-866/17 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन।

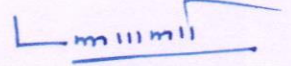
(Online Proposal No- FP/UK/Others/41466/2019)

जनपद- बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-866/17 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 1.568 हे0 पंचायत वन भूमि एवं 1.28 हे0 राजस्व वन भूमि अर्थात कुल 2.848 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-बागेश्वर/प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Sanctuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाईन भरे गये पार्ट-2 में अंकित सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-15 है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनाम:

हस्ताक्षर:



(डी0जे0के0 शर्मा)

प्रमुख वन संरक्षक

सरकारी मोहर:

(D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 02/01/2021

स्थान : देहरादून